(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEVELOPMENT DEPARTMENT) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 49, SHAM NATH MARG, DELHI – 110054.

Dated: 18.10.2021

NOTIFICATION

No. F. 8(04)/2021/DAM/MR/ ² ^O In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby nominates the following persons to be the members of the Agricultural Produce Marketing Committee (Shahdara), Gazipur, Delhi, namely:-

THREE NOMINATED AGRICULTURISTS

1. Sh. D.C. Vashistha 1/10050 A, Gali No. 5, West Gorakh Park, Shahdara, Delhi-110032. Member

 Sh. Yogeshwar Sharma
 H.No. 152, Pandit Chowk, Mandawali Fazalpur, Delhi-110092. Member

Mohd. Harun Salmani
 246/44, East School Block Mandawali,
 New Delhi-110092.

Member

TWO ELECTED TRADERS AND COMMISSION AGENTS

Sh. Mukesh Dhingra
 1/15, Gali No. 5, Near Chint Purni Mandir,
 Vishwas Nagar, Shahdara,
 Delhi-110032

Member

2. Sh. Raj Kumar Luthra 27/94/1/2, Jwala Nagar, Shahdara, Delhi-110032. Member

NA

ONE REPRESENTATIVE OF LOCAL AUTHORITY

 Sh. Atul Kumar Gupta, Municipal Councilor Ward No. 7-E (Kondli)
 A-1/119, New Kondli, Mayur Vihar Phase-III, Delhi-110096.

Member

ONE NOMINATED MEMBER OF DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

 Sh. Kuldeep Kumar, MLA A-169, Chander Vihar, Mandawali, Delhi-110092. Member

TWO NOMINATED MEMBERS TO REPRESENT THE INTEREST OF CONSUMER

 Sh. Raj Kumar Ballan
 Village Gamdi, Gali No. 1, Bhajanpura, Delhi-110053 (Near Sardar Patel Park) Member

 Sh. Rizwan
 I-467, Janta Majdoor Colony, Delhi-110032. Member

The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby further directs that the Members of the said Marketing Committee shall take charge of their office with effect from the date of the publication of their names in the official Gazette. They shall hold office for a term of three years as provided under section 41 of the said Act.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(MADHUP VYAS) SECRETARY (DEVELOPMENT) GOVT. OF NCT OF DELHI No. F 8(04)/2021/DAM/MR/ 2092-2106

Dated: 18 10 2021

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1 The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi.
- The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad (Haryana).
- 3 The Principal Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
- 4 The Principal Secretary, Law, Justice & Legislative Affairs Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 5 The Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 7 The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 8 The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
- 9 The Chairman, Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary, Delhi Agricultural Marketing Board.
- 10 The Director, Deptt. of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- 11 The Deputy Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Gazette (Extra Ordinary) Part-IV and copies of the same may be arranged for this office.
- 12 The Secretary, APMC (MNI), Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur, Shahdara (Fruit & Vegetable Market), Gazipur Delhi, Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi and Flower Marketing Committee, IFC, Gazipur, Delhi.
- 13 The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi

14 Guard file.

Moly

(MADHUP VYAS) SECRETARY (DEVELOPMENT) GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग—4 में प्रकाशित किए जाने के लिए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय 49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054

दिनांकः 18.10.204

अधिसूचना

सं एफ. 8(04) / 2021 / डी०ए०एम० / एम०आर० / २०९१ दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या ७, 1999) की धारा ३६ की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को कृषि उपज विपणन समिति (शाहदरा), गाजीपुर, दिल्ली के सदस्य मनोनीत करते हैं:-

तीन मनोनित कृषक

श्री डी.सी. वशिष्ठ : सदस्य
 1/10050 ए, गली नं० 5, पश्चिमी गोरख पार्क,
 शाहदरा. दिल्ली—110032.

 श्री योगेश्वर शर्मा : सदस्य मं0 नं0 152, पंडित चौक, मंडावली फैजलपुर, दिल्ली–110092.

 मौहम्मद हरून सलमानी : सदस्य 246/44, पुर्वी स्कूल ब्लाक मंडावली, नई दिल्ली–110092.

दो निर्वाचित व्यापारी और आढ़ती

1 श्री मुकेश धींगरा : सदस्य 1/15, गली नं0 5, नजदीक चिंत पूरनी मंदिर, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली—110032.

2 श्री राज कुमार लूथरा : सदस्य27/94/1/2, ज्वाला नगर, शाहदरा,दिल्ली—110032.

MA

एक प्रतिनिधी स्थानीय प्राधिकरण

श्री अतुल कुमार गुप्ता, निगम पार्षद वार्ड नं० 7-ई (कोंड़ली) ए-1/119, नई कोंड़ली, मयुर विहार फेस-।।।, दिल्ली-110096.

सदस्य

एक मनोनित सदस्य दिल्ली विधानसभा

1 श्री कुलदीप कुमार, विधायक ए—169, चन्द्र विहार, मंडावली, दिल्ली—110092.

सदस्य

दो मनोनित सदस्य उपभोक्ता हितकर वर्ग

1 श्री राज कुमार बल्लन 69 गाँव गाँवड़ी, गली नं0 1, भजनपुरा, दिल्ली—110053. (नजदीक सरदार पटेल पार्क)

सदस्य

2 श्री रिजवान आई–467, जनता मजदुर कॉलोनी, दिल्ली–110032. सदस्य

इसके अतिरिक्त, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उपरोक्त मंडी सिमिति के सदस्यों को, इनके नाम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से कार्यभार संभालने का निर्देश देते है। जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 41 में दिया गया है, इन सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा।

उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से तथा उनके आदेश पर,

Fugu

(मधुप व्यास) सचिव (विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सं एफ. 8(04) / 2021 / डी०ए०एम० / एम०आर० / २० १२ - २। ०६

दिनांकः 1810 20 भ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.४, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव, विधि, न्याय एवं विधायी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 5 सचिव, मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डर हिल रोड, दिल्ली।
- 9 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष / सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 10 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 11 उप—सचिव (सा.प्र.वि.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र (असाधारण) भाग–4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए।
- 12 सचिव, कृषि उपज विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी), गाजीपुर, दिल्ली, मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, एवम पुष्प विपणन समिति, आई.एफ.सी., गाजीपुर, दिल्ली।
- 13 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- १४ गार्ड फाईल।

र्जापुर्प (मधुप व्यास) सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार